

# कार्यालय तहसीलदार ( राजस्व ) पूगल 25/2

2019/000001

कार्यवाही विवरण पत्रिका "द"

12/3

18/3

सरकार बनाम श्री माधो सिंह

उपयोग संचालिका अन्तर्गत धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 2018-19

क्रमांक ..... 27/19 .....

सन् 2075

आज्ञा की दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	पत्रांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया गया।
25/2/19	<p>आज यह पत्रावली पटवारी हलका <u>अमरपुरा</u> की पी-14 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मुरतिब की गई। रिपोर्ट पटवारी हलका के मुताबिक श्री <u>माधो सिंह</u> पुत्र <u>लक्ष्मण सिंह</u> जाति <u>राजपूत</u> निवासी <u>अमरपुरा</u> के ग्राम / चक <u>अमरपुरा</u> के मु.नं./ख.नं. (721) किला नं. .... में कुल रकबे 1.2 बीघा पर फसल सम्बत् 2075 खरीफ में अनाधिकृतरूप से काश्त कर रकबाराज / चारागाह / गैर-मुमकिन भूमि में अतिक्रमण किया है।</p> <p>अतः उक्त अतिक्रमी <u>माधो सिंह</u> के विरुद्ध राज. उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा -22 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किया जाए तथा प्रथम दृष्टया अतिक्रमण मानते हुए मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने के आदेश सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को जारी किए जाएं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाए और आईन्दा दिनांक 12/3/19 को पेश हो।</p>	160   25/2
12/3/19	<p>आज पत्रावली पेशा में लगी। भद्रार्थी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। कामलिप अदालत अन्तर्गत कार्य अस्त है। पत्रावली अदालत दिनांक 18/3/19 को पेश की गई।</p>	
18/3/19	<p>आज पत्रावली पेशा हुई। भद्रार्थी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। भद्रार्थी ने विवेदन किया है कि तीमाज्ञान के अभाव में तलाक</p>	

प्रीतिदा के अरिन्दान के अरिन्दान अतः अरिन्दान को अरिन्दान  
करी दोषित किया जाता है। विषय अलग ले लिया  
जाकर सलग पत्रावली है। पत्रावली के सल श्रुमार -  
होकर नम्बर से कम है।।।